UPPB010022412024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 2 जनपद पीलीभीत।

पीठासीनः राम किशोर IV, एच0जे0एस0 UP-6077

विशेष सत्र परीक्षण संख्या 57 / 2024

उत्तर प्रदेश राज्य..अभियोजन पक्ष।

प्रति

1. रोहित गोस्वामी पुत्र सतीश चंद्र गोस्वामी,
2. विवेक गोस्वामी पुत्र सतीश चंद्र गोस्वामी,
3. श्रीमती सुंदरी गोस्वामी पत्नी सतीश चंद्र गोस्वामी,
4. सतीश चंद्र गोस्वामी पुत्र मंशीनाथ,

समस्त निवासीगण मोहल्ला नई बस्ती, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत।

धारा 323, 504 व 506 भा0द0सं0 एवं धारा
3(1)(10)एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट
थाना– सुनगढ़ी,
जिला– पीलीभीत।

<u>निर्णय</u>

(1) इस विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुंदरी गोस्वामी व सतीश चंद्र गोस्वामी का धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(10) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोपित अपराध हेतु विचारण किया गया है।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादिनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3)द.प्र.स. इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का संस्थित किया गया कि प्रार्थिनी के पड़ोस में रहने वाले सतीश चन्द्र गोस्वामी ने एक फर्जी मुकदमा प्रार्थिनी के पुत्र रोहित कोरी के ऊपर थाना सुनगढी मे लिखाया था, जिसमें रोहित की जमानत मा० न्यायालय से हो चुकी है जिस कारण उक्त सतीश चन्द्र गोस्वामी व उसके परिवार वाले प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार वालों से रंजिश मानते है। इसी कारण दिनांक 27.09.2023 को समय करीब 2:30 बजे दिन उक्त सतीश मुंशी नाथ व उसकी पत्नी श्रीमती सुन्दरी घर में जबरदस्ती घुस आये थे और गन्दी गन्दी गालियां देते हुये प्रार्थिनी के पति राम किशोर को मारा था तथा घर का सामान तोड फोड डाला था इससे पहले भी कई बार उक्त लोग मार पीट व तोड फोड हम लोगों से कर चुके है। उक्त की बाबत प्रार्थिनी के पति राम किशोर ने थाना सुनगढी व पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत को शिकायत की परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई। दिनांक 30.11.2023 को समय करीब 1:30 बजे दिन प्रार्थिनी अपने घर से बाजार के लिए जा रही थी तो घर से कुछ दूर ही आगे गयी थी तभी रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी पुत्रगण सतीश चन्द्र गोस्वामी श्रीमती सुन्दरी गोस्वामी पत्नी सतीश चन्द्र गोस्वामी व सतीश चन्द्र गोस्वामी पुत्र मुंशी नाथ ने प्रार्थिनी को गन्दी गन्दी गालियां देते हुये घेर लिया तथा प्रार्थिनी को [illegible] घूसों से

Digitally signed by Ram Kishor
Date: 2026.07.09 16:49:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मारने पीटने लगे और प्रार्थिनी का नोकिया मोबाइल फोन जवरदस्ती छीन लिया तथा उक्त मुल्जिमानों ने प्रार्थिनी के कपडे फाड़ दिये शोर पर प्रार्थिनी का पति राम किशोर तथा लडका अनुभव उर्फ चन्दन व मोहल्ले का अम्बुज, सुमन पुत्र पोपराम व मोहल्ले के बहुत से लोग आ गये तो उक्त मुल्जिमान गन्दी गन्दी गालियां देते हुये जाति सूचक शब्द कहते हुये बोले कि साली कोरी आज तो सब लोग आ गये आइन्दा जब मौका मिलेगा तुझे व तेरे परिवार वालों को मार डालेंगे। अगर उक्त लोग बचाने न आये होते तो पता नही मुल्जिमान प्रार्थिनी के साथ क्या सुलूक करते। उसने उक्त की बाबत थाना सुनगढी शिकायत की परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है, उसको अपनी व अपने परिवार वालों की जान व माल का उक्त मुल्जिमानों से सख्त अंदेशा है। परिवादिनी के उक्त प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2024 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया।

(3) परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा 200 दण्ड प्रकिया संहिता एवं साक्षीगण के बयान अंतर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनना पाते हुए इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुंदरी गोस्वामी व सतीश चंद्र गोस्वामी को अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में विचारण हेतु आहूत किया गया।

(4) अभियुक्तगण रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुंदरी गोस्वामी व सतीश चंद्र गोस्वामी के विरूद्ध मेरे द्वारा दिनांक 04.04.2026 को अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपित आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की याचना की गयी।

(5) परिवादिनी की ओर से अपने अभिकथन व आरोप को सिद्ध करने के लिए तीन साक्षीगण यथा अभियोजन साक्षी सं. 1 सुरजा देवी, अभियोजन साक्षी सं. 2 अम्बुज व पी.डब्लू. 3 अनुभव कोरी को परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्षीगण को परिवादिनी की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

(6) परिवादिनी पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत किये गये है –

क्र. सं.	साक्षी संख्या	साक्षी नाम	प्रदर्श संख्या	अभियोजन प्रपत्र
1	पी.डब्लू. 1	सुरजा देवी	प्रदर्श क–1	प्रार्थना पत्र 156(3) द.प्र.सं.
2	पी.डब्लू. 2	अम्बुज	–	–
3	पी.डब्लू. 3	अनुभव	–	–

(7) अभियोजन साक्ष्य समाप्त किये जाने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा साक्षीगण के बयानों के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। वे निर्दोष हैं। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

(8) परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामला परिवाद पर आधारित है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी को जातिसूचक गालियां देते हुए उसे मारापीटा गया तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। साक्षीगण के साक्ष्य से परिवाद कथानक पूर्णतः साबित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन

साक्षीगण के परिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर परिवाद कथानक पूर्णतः साबित है तथा अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

(9) अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवादिनी के विद्वान अधिक्ता के तर्को का खंडन करते हुए यह तर्क दिया गया कि उक्त प्रकरण परिवाद पर आधारित है। परिवादिनी पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिवादिनी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान व वादपत्र में किये गये अभिकथनों में विरोधाभासी कथन किये गये है। परिवादिनी के पुत्र द्वारा अभियुक्तगण की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने का मुकदमा थाने पर पंजीकृत है, जिसमें परिवादिनी द्वारा अपने पुत्र को बचाने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर कथित घटना के संबंध में परिवादिनी की कोई चिकित्सीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और न ही घटना दिनांक 27.09.2023 के संबंध में थाने व पुलिस को दिया गया प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। घटना का कोई चक्षुदर्शी जनसाक्षी नहीं है। इस प्रकार परिवादिनी पक्ष अभियुक्तगण पर लगाये गये उपर्युक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(10) मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

(11) अभियुक्तगण पर धारा 323 504 व 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 अपराध के विषयक लगाये आरोप के संदर्भ में प्रस्तुत साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्तगण ने परिवादिनी सुरजा देवी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने, साशय अपमानित करने के आशय से गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया है।

(12) इस संबंध में परिवादिनी पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के समर्थन में साक्षी **पी0डब्लू0 1 सुरजा देवी** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि ''घटना दिनांक 27.09.2023 को दोपहर की है। सुंदरी और सतीश दो लोग मेरे घर में घुसे और सामान को तोड़ फोड़ किया और मेरे पति रामकिशोर को मारापीटा। इसके बाद यह लोग चले गये, उसके बाद लगभग दो महीने बाद दिन के ढाई बजे के लगभग मैं बाजार जा रही थी, तो सतीश और सुंदरी मेरी तरफ बढ़े और फिर इनके लड़के रोहित और विवेक मेरी तरफ बढ़े और इन चारों लोगों ने मुझे मारापीआ और जातिसूचक गाली कि धुरैटा तुम्हे मार देंगे। मेरा लड़का अनुभव उर्फ चंद्रन और अम्बुज ने मुझे बचाया और कहा कि आज तो तू बच गयी। आइंदा मिलने पर तुझे जान से मार देंगे। मैं थाने रिपोर्ट लिखाने गयी, तो मेरी रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी गयी। मेरी किसी ने नहीं सुनी, फिर मैं एस.पी. के यहां गयी, तो वहां भी मेरी नहीं सुनी और मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया, तो मैं न्यायालय की शरण में आयी, फिर मैंने न्यायालय में वकील साहब के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र धारा 156(3) द.प्र.सं. पर लगा फोटो मेरा है और उस पर लगा अंगूठा भी मेरा है। मैं फोटो और अंगूठा को तस्दीक करती हूॅ। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या क4/1 लगायत क4/2 है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैं इसे पहले भी न्यायालय में आयी थी, मेरा बयान हुआ था।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि''मेरी रामकिशो से मेरी शादी हुई थी। राम किशोर को पहली पत्नी का नाम सुरजा देवी था। मेरे पहले पति का नाम संतोष था। मुझे पहले पति संतोष के पिता जी का नाम नहीं मालूम। मेरे पहले पति संतोष नूरापुर से हुई थी। संतोष से मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं संतोष के साथ पत्नी बनकर दो तीन साल रह पायी थी। संतोष के नाम कोई जमीन नहीं है। उसके बाद मैं राम किशोर के घर आकर बैठ गयी। मेरे दो नाम चल रहे है। मेरा नाम राजकुमारी भी है। मेरा

पहले भी दोनों में चल रहे है और आज भी मेरे दोनों नाम चल रहे है। यह कहना गलत है कि मैं जब से रामकिशोर के साथ बैठी हूॅ, तब से मैंने अपना नाम सुरजा देवी रखा है। मेरे माता पिता खत्म हो गये है। मेरा मयका नूरापुर में है। मेरी शादी जदमापुर में हुई थी, वहॉ भी कोई नहीं है। वहां मेरे पति संतोष के भाई रह रहे है। मेरे पति के भाई रामऔतार नन्हे लाल व एक नाम नहीं मालूम है। वह आज भी जदमापुर में रह रहे है, जो थाना बिलसंडा, जिला पीलीभीत में लगता है। राम किशोर के साथ जब पहली बार मारपीट हुई थी, तो मेरी थाने व एस.पी. साहब के यहां कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मैं थाने व एस.पी. साहब के यहां गयी थी। मैंने पहला प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था, दूसरा प्रार्थना पत्र एस.पी. साहब को दिया था। उस घटना की तहरीर की नकल, इस मुकदमे में दाखिल होगी। इस पत्रावली में कोई ऐसी तहरीर शामिल नहीं है। मैं दूसरी वाली घटना हुई तो घर से ढाई बजे निकली थी। मैं अकेले थी। मेरे लड़के उस समय घर पर थे। घर से बाजार घर गृहस्थी का सामान लेने जा रही थी। घर बाहर निकले थे, आधा किलोमीटर तब इन लोगों ने मेरा पीछा किया था। आधा किलोमीटर पहुंचने में दो चार मिनट लगे होगे। मेरा घर व सुंदरी का घर आमने सामने है। जहां पर मारपीट हुई थी। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गये थे और मेरा लड़का भी आ गया था। मैं अपने लड़के अम्बुज, अनुभव के अलावा भीड़ में कौन कौन थे, मैं उनके नाम नहीं बता सकती। मेरे पति की पहली पत्नी सुरजा देवी से तीन बच्चे पैदा हुये थे। बड़े लड़के का नाम राकेश, छोटे लड़के विनोद व लड़की का नाम पूनम है। एक लड़का रूद्रपुर में रह रहा है। एक लड़का मेरे ही मकान में रह रहा है। ममता मेरी बड़ी बहू राकेश की पत्नी का नाम है। ममता इस समय मेरे ही घर पर रह रही है। ममता से मेरा मुकदमा मारपीट का चल रहा है। किस अदालत में चल रहा है, मुझे नहीं मालूम। जब मेरा लड़का रोहित सुंदरी की लड़की वैश्नवी को भगा कर ले गया था, तो उसकी उम्र 15 वर्ष रही होगी। उसकी रिपोर्ट उसके माता पिता ने थाना सुनगढ़ी पर दर्ज करायी थी। वह मुकदमा आज भी न्यायालय में चल रहा है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरा लड़का उसकी तारीख पर आता है, यह मुझे मालूम है। वैश्नवी आज हमारे घर में रह रही है। यह कहना गलत है कि उसी मुकदमा में समझौते का दबाव बनाने के लिए रोहित के कहने पर झूठा मुकदमा लिखाया हो। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। प्रदर्श क–1 में क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम। वकील साहब ने कहा अंगूठा लगा दो, तो मैंने अंगूठा लगा दिया। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूॅ। यह कहना गलत है कि मैं अपना फर्जी नाम सूरजा देवी रखा हो।''

(13) इस प्रकार यह साक्षी प्रस्तुत मामले की परिवादिनी है, जिसके द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि उसके पड़ोस में रहने वाले सतीश चंद्र गोस्वामी ने एक फर्जी मुकदमा उसके पुत्र रोहित कोरी के उपर लिखाया गया है जिसमें रोहित की जमानत हो चुकी है, जिस कारण उक्त सतीश चंद्र व उसके परिवार वाले उससे व उसके परिवार वालों से रंजिश मानते है। इसी कारण दिनांक 27.09.2023 को समय करीब 2:30 बजे दिन उक्त सतीश चंद्र, उसकी पत्नी सुंदरी घर में जबरदस्ती घुस आये थे और गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके पति राम किशोर को मारापीटा, घर का सामान तोड फोड़ दिया। उक्त घटना की शिकायत उसके पति रामकिशोर ने थाना सुनगढ़ी व पुलिस अधीक्षक पीलीभीत से की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके उपरांत दिनांक 30.11.2023 को समय करीब 1:30 बजे दिन वह अपने घर से बाजार के लिए जा रही थी, तो घर के कुछ दूर ही आगे रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुंदरी गोस्वामी व सतीश चंद्र गोस्वामी ने उसको गंदी गंदी गालियां देते हुए घेर लिया, उसको लातघूसों से मारापीटा, उसका नोकिया मोबाइल छीन लिया, उसके कपड़े फाड़ दिये। शोर पर उसका पति राम किशोर, लड़का अनुभव उर्फ चंद्र व मोहल्ले का अम्बुज व मोहल्ले के अन्य लोग आ गये थे तो जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।

(14) इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि रामकिशोर के

साथ जब पहली बार मारपीट हुई थी, तो थाने व एस.पी. साहब के यहां कोई सुनवाई नहीं हुई थी। उसने थाने व एस.पी. साहब के यहां गयी थी। उसने पहला प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था, दूसरा प्रार्थना पत्र एस.पी. साहब को दिया था। जब दूसरी वाली घटना हुई, तो घर से ढाई बजे निकली थी, वह अकेले थी। उसके लड़के उस समय घर पर थे। घर से बाजार घर गृहस्थी का सामान लेने जा रही थी। घर बाहर निकले थे आधा किलोमीटर, तब इन लोगों ने उसका पीछा किया था। उसका घर व सुंदरी का घर आमने सामने है, जहां मारपीट हुई थी, वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गये थे और उसक लड़का भी आ गया था। वह अपने लड़के अम्बुज, अनुभव के अलावा भीड़ में कौन कौन थे। वह उनका नाम नहीं बता सकती। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र व न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में दिनांक 27.09.2023 व 30.11.2023 को हुई घटना का कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं किया गया है और न ही परिवादिनी द्वारा दिनांक 27.09.2023 को हुई घटना के संबंध में थाने व एस.पी. साहब को दिये गये प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया गया है। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र व न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य में दिनांक 27.09. 2023 को उसके पति के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने व घर का सामान तोड़े जाने का कथन किया गया है, जबकि परिवादिनी द्वारा अंतर्गत धारा 200 द.सं.प्र. में दिनांक 27.09.2023 को उसके व उसके पति के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया गया है। परिवादनी द्वारा स्वयं अपने परिवाद पत्र व बयानों में उसके लड़का रोहित द्वारा सुंदरी की लड़की वैश्नवी को भगा कर ले जाने पर उसके माता पिता द्वारा थाना सुनगढ़ी पर मुकदमा दर्ज कराने का कथन किया गया है। उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण द्वारा स्वयं अपने साक्ष्य में अभियुक्त सुंदरी की लड़की को भगाने को लेकर परिवादिनी मुकदमा व उसके परिवार से रंजिश मानने का कथन किया है तथा स्वयं अपने साक्ष्य में उसके लड़के रोहित कोरी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने का कथन किया है। इस संबंध में पी0डब्लू0 2 अम्बुज व पी.डब्लू. 3 अनुभव कोरी परिवादिनी द्वारा अपनी प्रतिपृच्छा में किये गये इन कथनों का समर्थन किया गया है। इस प्रकार परिवादिनी द्वारा अपनी प्रतिपृच्छा में किये गये उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि परिवादिनी ने अभियुक्त पक्ष के द्वारा उसके लड़के के विरूद्ध थाने पर रिपोर्ट लिखाये जाने के उपरांत अभियुक्तगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह परिवाद दर्ज कराया गया है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पक्षकारों के मध्य अभियुक्त की पुत्री को भगाने को लेकर पूर्व से रंजिश विद्यमान थी। पक्षकारों के मध्य पूर्व से विद्यमान परास्पारिक रंजिश एक ऐसी द्विधारी तलवार है, जो जिस सीमा तक घटना कारित किये जाने के लिए उत्तरदायी है, उसी सीमा तक अभियुक्तगण को किसी आपराधिक मामले में झूठे फंसाये जाने का भी एक सशक्त कारण है। इस प्रकार परिवादिनी के उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

(15) साक्षी **पी0डब्लू0 2 अम्बुज** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि''घटना दिनांक 30.11.2023 दिन के 1:30 बजे की है। सूरजा देवी बाजार जा रही थी, तभी विवेक गोस्वामी, सतीश चंद्र गोस्वामी, रोहित गोस्वामी एवं सुंदरी गोस्वामी ने सुरजा देवी को घेर लिया और लातघूसों से मारने लगे और उसका फोन छीन लिया और सूरजा देवी के कपड़े फाड़ दिये, तभी सुरजा देवी ने शोर मचाया। सूरजा देवी का शोर सुनकर उनका पति राम किशोर व पुत्र अनुभव कोरी उर्फ चंदन और मैंने आकर सूरजा देवी को बचाया। उक्त लोगों ने सूरजा देवी को जातिसूचक गाली दी और कहा साली कोरी आज तो बच गयी है, आइन्दा जान से मार देंगे और मुझे भी फोन से धमकी दी कि गवाही दी तो देख लेंगे। मैं इससे पहले भी न्यायालय में बयान देने आया था।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि'' सूरजा देवी का लड़का रोहित, मेरा दोस्त नहीं है। मुझसे छोटा है, मुझे भईया कहता है। सूरजा देवी और मैं एक ही जाति कोरी है। मेरा मकान सूरजा देवी के मकान से लगभग 250 मीटर की दूरी पर है। मेरा अपना व्यक्तिगत घर वाला मुकदमा चल रहा है। मैंने बेचे लाल के

लड़के का कोई अपहरण नहीं किया था। मेरे खिलाफ लड़ाई झगड़े का मुकदमा चल रहा है। चोरी का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। मुझे कभी जिला बदर नहीं किया गया था। मेरे खिलाफ गैंगस्टर की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। मेरी जानकारी में है कि सूरजा देवी का लड़का रोहित, सतीश गोस्वामी की लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था। रोहित जेल गया था या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मैं दिल्ली में तीन चार महीने नौकरी करके घर आ गया था। कुछ दिन रूकने के बाद फिर दिल्ली काम करने चला जाता हूॅ। मेरा काम सीजनल है। मेरी माता जी ने मेरे व्यवहार के कारण मुझे अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा है, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। मैं अपने माता पिता, भाई बहन के साथ मारपीट नहीं करता था। मैंने जिस महिला से शादी की वह शादीशुदा मेरी भाभी थी, उनके छह बच्चे थे और वह सारे बच्चे व मेरी पत्नी दिल्ली में रह रहे है, जिस दिन की सूरजा देवी की घटना बतायी जा रही है, मैं उस समय अपने मकान में मौजूद था। सूरजा देवी ने बताया की घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर मुल्जिमान ने मारपीट की थी। मैं सूरजा देवी के साथ थाने नहीं गया था। यह कहना गलत है कि सूरजा देवी मेरी बिरादरी व रिश्तेदार होने के नाते मैं आज न्यायालय में सही बात न बता रहा हो। यह कहना गलत है कि मुकदमे को बल देने हेतु आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हो। ''

(16) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसकी जानकारी में है कि सूरजा देवी का लड़का रोहित सतीश गोस्वामी की लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था। रोहित जेल गया था या नहीं उसे जानकारी नहीं है। इस दिन की सूरजा देवी घटना बतायी जा रही है, वह उस समय अपने मकान में मौजूद था। सूरजा देनी ने बताया कि घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर मुल्जिमान ने मारपीट की थी। वह सूरजा देवी के साथ थाने नहीं गया था। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिनांक 30.11.2023 की घटना परिवादिनी द्वारा बताये जाने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा कथित घटना के समय अपने मकान पर होने का कथन किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में कथित घटना परिवादिनी द्वारा बताये जाने पर उसे घटना की जानकारी होना साबित होता है। अतः इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है।

(17) साक्षी **पी0डब्लू0 3 अनुभव कोरी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि'' दिनांक 27.09.2023 को समय करीब दिन के ढाई बजे सतीश चंद्र गोस्वामी, उनकी पत्नी सुंदरी, जबरदस्ती घर में घुस आये तथा मेरे पिता रामकिशोर के साथ मारपीट की और चले गये। दिनांक 30.11.2023 को समय करीब दिन के डेढ़ बजे मेरी मां सूरजा देवी अपने घर से बाहर जा रही थी, तभी रोहित गोस्वामी, विवेचक गोस्वामी, सतीश चंद्र गोस्वामी और सुंदरी गोस्वामी ने मेरी मां सूरजा देवी को गंदी गंदी गालियां देते हुए घेर लिया और लातघूसों से मारपीटा मेरी मां का नोकिया मोबाइल छीन लिया। शोर सुनकर मैं और मेरे पड़ोस का अम्बुज आये थे। उक्त मुल्जिमानों ने हम लोगों को जातिसूचक गाली कुरैटा कहकर अपमानित किया और कहा की अबकी बार तो बच गये हो, आइंदा जान से मार देंगे। अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। इससे पूर्व भी मैं न्यायालय में बयान देने आया था। सतीश चंद्र गोस्वामी ने मेरे भाई रोहित कोरी के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। हम लोगों ने अपने भाई रोहित की जमानत करा ली थी। इस कारण से अभियुक्तगण रंजिश मानते थे और हम लोगों के साथ घटना कारित की थी।'' बचावपक्ष की प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया कि''मैं बी.ए. कर रहा हूॅ। मेरा मकान सुदरी के मकान से 100 मीटर की दूरी पर है। रोहित मेरा सगा भाई है। सुंदरी की नाबालिग लड़की खुद आयी थी। मेरा भाई भगा कर नहीं ले गया था। उस मुकदमे में मेरा भाई जेल गया था। यह कहना गलत है कि उस मुकदमे में दबाव बनाने हेतु यह मुकदमा मेरी मां के द्वारा न्यायालय में दाखिल किया हो। मैं कुछ नहीं करता हूॅ। घ ाटना वाले दिन मैं अम्बुज के साथ नहीं था। घटना दिनांक 30.11.2023 की बतायी गयी है। अम्बुज उस अपने कमरे पर घटना के समय था। मेरी मां दिनांक 30.11.2023 को समय दिन

के ढाई बजे बाजार के लिए निकली थी। उस समय मैं अपने घर पर मौजूद था। यह घटना सुदरी के घर के पास की है, जहां पर मारपीट होना बताया गया है। मैंने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया। मोहल्ले के दिनेश, अम्बुज और बहुत से लोग आ गये थे। भीड़ काफी इकट्ठा हो गयी थी। मेरी मां को अम्बुज व मैंने बचाया था और मोहल्ले के किसी ने नहीं बचाया था। इस मारपीट में लगभग 10 मिनट लगे होंगे। मुल्जिमान के पास लाठियां थी। मैं बाद में पहुंचा था, मुल्जिमान मार चुके थे। लाठी डंडों से मारपीट कर रहे थे, तो मैं पहुंच गया था। मेरी मम्मी के लाठी डंडों से गुम चोटे आयी थी। मैं अपनी मां को थाना सुनगढ़ी ले गया था, लेकिन कोई सुनवाई नही हुई थी। मैं अपनी मां को जिला अस्पताल ले गया था। वहां डाक्टर साहब मिले थे। उन्होंने मेरी मां का इलाज किया। उस इलाज की कोई कागज या काफी मेरी मां या मेरे द्वारा अदालत में दाखिल नहीं की गयी है। रोहित लड़की को भगा कर ले गया था, उसे पहले कोई कहासुनी नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि घटना आधा किलोमीटर दूर हुई हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटन न हुई हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी मां के द्वारा मनगढ़त तथ्यों को दर्शाकर फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया हो। यह कहना गलत है कि आज मैं मुकदमे को बल देने हेतु गलत बयानी कर रहा हो।''

(18) इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि सुंदरी की नाबालिग लड़की खुद आयी थी, उसका भाई भगा कर नहीं ले गया था, उस मुकदमे में उसका भाई जेल गया था। घटना वाले दिन वह अम्बुज के साथ नहीं था। घटना दिनांक 30.11.2023 की बतायी जाती है। अम्बुज उस दिन अपने कमरे पर घटना के समय था। उसकी मां दिनांक 30.11.2023 को समय दिन के ढ़ाई बजे बाजार के लिए निकली थी। उस समय वह अपने घर पर मौजूद था। यह घटना सुंदरी के घर के पास की है, जहां पर मारपीट होना बताया गया है। उसने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया। मोहल्ले के दिनेश, अम्बुज और बहुत से लोग आ गये थे। उसकी मां को अम्बुज और उसने बचाया था। इस मारपीट में अम्बुज में लगभग 10 मिनट लगे होंगे। मुल्जिमान के पास लाठियां थी। वह बाद में पहुंचा था, मुल्जिमान मार चुके थे। उसकी मम्मी को लाठी डंडो से गुम चोटे आयी थी। रोहित लड़की को भगा कर ले गया था, उससे पहले कोई कहासुनी नहीं हुई थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अपने पूर्व में किये गये बयान अंतर्गत धारा 202 द.प्र.सं. में अभियुक्तगण द्वारा लातघूसो से मारपीट किये जाने का कथन किया गया है, जबकि इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में अभियुक्तगण द्वारा लाठियों से 10 मिनट तक उसकी मां को मारने पीटने का कथन किया गया है। इस साक्षी ने कथित घटना में स्वयं की उपस्थिति के संबंध में विरोधाभासी कथन किये गये हैं। यह साक्षी परिवादिनी का पुत्र है, जो हितबद्ध साक्षी है। इस प्रकार इस साक्षी के बयानो में घोर विरोधाभासी कथन किये गये है, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। इस स्तर पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर अन्य कोई विश्वसनीय मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी के साथ कथित घटना कारित करने एवं एस.सी./एस.टी. अधिनियम का अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर परिवादिनी की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नही है।

(19) इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर परिवादिनी पक्ष अभियुक्तगण रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुंदरी गोस्वामी व सतीश चंद्र गोस्वामी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुंदरी गोस्वामी व सतीश चंद्र गोस्वामी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(10) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

एतद्द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या 57 / 2024 में अभियुक्तगण रोहित गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, सुंदरी गोस्वामी व सतीश चंद्र गोस्वामी को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)(10) एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस मामले में अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दाखिल जमानते अगले छह माह तक लिए प्रभावी रहेंगे और अभियुक्तगण तथा उनके जामिनान उक्त जमानत से अबाध्य रहेंगे।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 09.07.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(राम किशोर IV)
दिनांकः 09.07.2026 विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0 2,
जनपद पीलीभीत।